

राजस्थान, सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: एफ 11 (3) 10/मो./आईसीडीएस/99/51394

जयपुर, दिनांक  
15-7-10

आदेश

आंगनबाडी केन्द्र के कार्य समय में परिवर्तन के क्रम में विभाग के द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 37796 दिनांक 27.05.2010 को प्रदेश में मानसून के आगमन के कारण तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। आंगनबाडी केन्द्रों का समय एवं कार्यक्रम/गतिविधियों का सम्पादन पूर्व निर्धारित समय सारणी अनुसार प्रातः 8.00 बजे से दौपहर 12.00 बजे तक यथावत् एतद् द्वारा किया जाता है।


  
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 11 (3) 10/मो./आईसीडीएस/99/51395-404 जयपुर, दिनांक 15-7-10

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, म.बा.वि. जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव, म.बा.वि. जयपुर।
5. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (जन स्वास्थ्य) राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर।
8. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
9. समस्त, बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं।
10. कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय।

  
निदेशक